न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : निशा R.A.S.

प्रकरण संख्या : 93/2019 राजस्व वाद

निर्णय दिनांकः– 02.09.2019

चिमनपुरी पिता किशोरपुरी, जाति गुंसाई उम्र 59 वर्ष निवासी ग्राम बलीचा तहसील खमनोर जिला राजसमन्द।

..........वादी

बनाम

1. श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खमनोर तहसील खमनोर जिला राजसमन्द।
2. श्री मथुरापुरी पिता किशोरपुरी जाति गुंसाई उम्र 75 वर्ष निवासी बलीचा, तहसील खमनोर जिला राजसमन्द हाल 339 नीमचमाता स्कीम उदयपुर।
3. श्री चैनपुरी पिता किशोरपुरी जाति गुंसाई उम्र 73 वर्ष निवासी ग्राम बलीचा तहसील खमनोर जिला राजसमन्द हाल 490 नीमच खेडा चौराया उदयपुर।
4. श्री देवपुरी पिता किशोरपुरी जाति गुंसाई उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम बलीचा तहसील खमनोर जिला राजसमन्द हाल नीमच खेडा देवाली उदयपुर।

..........प्रतिवादीगण

वाद इन्द्राज दुरूस्ती बाबत्।

उपस्थित : 1. मदनलाल टांक, अधिवक्ता वादी।
2. ख्यालीलाल नागदा,, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

: : निर्णय : :

दिनांक :–02.09.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से यह वाद इन्द्राज दुरुस्ती का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि राजस्व ग्राम बलीचा तहसील खमनोर के खाता सं. 122 मे कुल आराजी किता 7 कुल क्षेत्रफल 04–02 बीघा कृषि भूमिया स्थित है। उक्त आराजीयात वर्तमान जमाबन्दी मे मथुरापुरी, चैनपुरी, मोहनपुरी, देवपुरी पिंता किशोरपुरी गुंसाई सा0 खातेदार अंकित है।

किशोरपुरी पिता दलपुरी (मृत)

मथुरापुरी	चैनपुरी	चिमनपुरी	देवपुरी	सुन्दरबाई (मृत)
(पुत्र) प्रति. सं. 2	(पुत्र) प्रति. सं. 3	वादी	(पुत्र) प्रति. सं. 4	पत्नी

अतः वाद की कलम सं. 1 मे वर्णित कृषि भूमिया विरासत से वादी एवं प्रतिवादी सं. 2, 3 एवं 4 को प्राप्त हुई। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड मे मोहनपुरी गलत अंकन हो गया जिससे वादी मोहनपुरी के स्थान पर सही नाम चिमनपुरी इन्द्राज दुरूस्ती कराने का अधिकारी है। मृतक किशोरपुरीजी के मोहनपुरी नाम का कोई

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

पुत्र नही था वादी को ही बोलते नाम मोनू मोनू कहते थे। सहवन से राजस्व रेकर्ड मे मोहनपुरी दर्ज हो गया जबकि वास्तव मे मोहनपुरी रहा ही नही वादी के सम्पूर्ण दस्तावेजो मे चिमनपुरी पिता किशोरपुरी नाम ही अंकन है मूलनिवास, आधार कार्ड राशन कार्ड निर्वाचन कार्ड इत्यादि मे चिमनपुरी नाम ही अंकित है। वादी के पत्नी व पुत्रो के नाम के आगे भी चिमनपुरी गोस्वामी नाम अंकित है। वादी की माता सुन्दरबाई का स्वर्गवास करीब 1 वर्ष पूर्व हो गया उसके बाद खाते की नकल प्राप्त की तो जानकारी हुई कि खाते मे वादी का नाम गलत मोहनपुरी अंकित है जिसे इन्द्राज दुरूस्ती कराया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी सं. 2, 3 एवं 4 सहखातेदार है व उक्त वाद मे आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाये गये है उनके विरूद्ध वादी को कोई अनुतोष नही चाहता है। प्रतिवादी सं. 1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खमनोर है वाद प्रस्तुत करने से पूर्व सूचना पत्र दिया जाना आवश्यक है सूचना पत्र के अभाव मे धारा 80 (2) जा.दी. अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। वाद कारण दिनांक 05.07.2019 को पैदा हुआ जब वादी ने तहसीलदार खमनोर से नाम इन्द्राज दुरूस्ती बाबत कहा तो दुरूस्ती करने से इंकार कर दिया और कहा कि न्यायालय मे दावा पेश करो तभी इन्द्राज दुरूस्ती होगी।

अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष मे इस आशय की इन्द्राज दुरूस्ती की डिक्री पारित फरमाई जावे कि वाद की कलम सं. 1 मे वर्णित कृषि भूमियो मे मोहनपुरी के स्थान पर चिमनपुरी पिता किशोरपुरी का इन्द्राज किये जाने की डिक्री पारित फरमाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 से 4 मय अधिवक्ता उपस्थित। वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 से 4 की ओर से राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के वाद मे चाही गई दाद पर कोई आपत्ति जाहिर नही कर वाद मे वर्णित तथ्यो को स्वीकार करते हुये वाद मे राजीनामे से डिक्री पारित करने हेतु अपनी सहमति प्रदान की है। राजस्व ग्राम बलीचा तहसील खमनोर के खाता सं. 122 की आराजीयात कुल किता 7 कुल रकबा 04–02 बीघा मे मोहनपुरी सहखातेदार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है परन्तु किशोरपुरी के मोहनपुरी नाम का कोई पुत्र नही हुआ। इसलिये मोहनपुरी पिता किशोरपुरी नाम का कोई व्यक्ति नही है। राजस्व कर्मचारियो की भूलवश मोहनपुरी नाम अंकित हो गया है जबकि मोहनपुरी पिता किशोरपुरी अंकित कर इन्द्राज दुरूस्त कराने एव तदुपरान्त वाद की कलम सं. 1 मे वर्णित कृषि भूमियो मे मोहनपुरी के स्थान पर चिमनपुरी नाम की घोषणा कराने पर कोई आपत्ति नही होकर अपनी सहमति प्रदान की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व ग्राम बलीचा तहसील खमनोर के खाता सं. 122 की आराजीयात कुल किता 7 कुल रकबा 04–02 बीघा मे मोहनलाल पिता किशोरपुरी दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार होना

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

पाया गया है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 से 4 जो कि वादी के भाई है ने राजीनामा प्रस्तुत कर मोहनपुरी के स्थान पर चिमनपुरी नाम अंकित किये जाने पर कोई आपत्ति नही होने एवं सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनुशंषा पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड निवार्चन पहचान पत्र एवं राशन कार्ड आदि दस्तावेजो के अवालेकन से चिमनपुरी किशोरपुरी का पुत्र होना साबित होता है। साथ ही खसरा परिशोधन पत्र के अवलोकन से क्रमांक 13 पर विरासत से उक्त वादग्रस्त आराजीयात खातेदार किशोरपुरी के बजाय मथुरापुरी चेनपुरी लाल पुरी मोहनपुरी देवपुरी के नाम स्वीकृत होना प्रतीत होता है।

अतः उक्त राजीनामे, शपथ पत्र व सरपंच, ग्राम पंचायत उनवास की अनुशंषा पर वादी इन्द्राज दुरूस्त कराने का अधिकारी साबित होता है अतः आदेश सुनाया जाता हैः–

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम बलीचा तहसील खमनोर के खाता सं. 122 की कुल आराजी किता 07 कुल रकबा 04–02 बीघा मे "**मोहनपुरी पिता किशोरपुरी के बजाय मोहनपुरी उर्फ चिमनपुरी पिता किशोरपुरी**" अंकित करने की स्वीकृति दी जाती है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। डिक्री पर्चा जारी होकर पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक **02.09.2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निशा)
सहायक कलक्टर (S.D.O.)
नाथद्वारा, जिला राजसमन्द